



सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़

(पंजीयन क्रमांक २४६६७,
दिनांक २७.११.१९६०.)

आयुर्वेदिक महाविद्यालय के पीछे, सरस्वती विहार, रायपुर- ४६२ ०१० (छ.ग.)

F.No. CIT/RPR/Tech/us-80G/2013-14, Dt. 04/12/13

website: www.vidyabhartigc.org, e-mail : vidyabhartigc@gmail.com

दूरभाष क.

०७७१-२२६२७७०

०७७१-२२६२३६३

परिपत्र क्र. ३७/२०१८-१९

दिनांक-०१.०२.२०१९

प्रति,

श्रीमान व्यवस्थापक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य

समस्त सरस्वती शिशु मंदिर उ.मा. विद्यालय- छत्तीसगढ़ प्रांत ।

विषय: नवीन वेतनमान् लागू करने के संबंध में।

संदर्भ: इस कार्यालय का परिपत्र क्र. 31/2018-19, दिनांक 17.12.2018।

महोदय,

विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र के माध्यम से आगामी सत्र से नवीन वेतनमान् लागू किया जाना प्रस्तावित कर आपसे सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे । अनेक विद्यालयों से सुझाव के रूप में नवीन वेतनमान् लागू किए जाने की सहमति प्राप्त हुई है ।

संस्थान की कार्यकारिणी समिति द्वारा नवीन वेतनमान् बनाने हेतु 16 सदस्यीय समिति का गठन जिसमें संस्थान के पदाधिकारी, कुछ विद्यालय के व्यवस्थापक एवं प्राचार्यों को सम्मिलित करते हुए किया गया था । इस समिति द्वारा नवीन वेतनमान् बनाकर प्रस्तुत किया गया जिसे संस्थान के कार्यकारिणी द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2019 को स्वीकृति प्रदान की गई जिसका अनुमोदन साधारण सभा द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2019 को किया गया । नवीन वेतनमान् नीचे लिखे अनुसार होगा-

पद का नाम वेतनमान्

चौकीदार-	3500 - 100 - 4000 - 150 - 4600 -द.अ.- 200 - 5600 - 250 - 6850 -द.अ.- 300 - 8350 - 350 - 10100 -द.अ.- 400 - 12100 - 450 - 14350
रसोईया-	3500 - 100 - 4000 - 150 - 4600 -द.अ.- 200 - 5600 - 250 - 6850 -द.अ.- 300 - 8350 - 350 - 10100 -द.अ.- 400 - 12100 - 450 - 14350
स्वीपर-	3500 - 100 - 4000 - 150 - 4600 -द.अ.- 200 - 5600 - 250 - 6850 -द.अ.- 300 - 8350 - 350 - 10100 -द.अ.- 400 - 12100 - 450 - 14350
भृत्य वर्ग-	3600 - 150 - 4350 - 200 - 5350 -द.अ.- 250 - 6600 - 300 - 8100 -द.अ.- 350 - 9850 - 400 - 11850 -द.अ.- 450 - 14100 - 500 - 16600
परिचालक-	3600 - 150 - 4350 - 200 - 5350 -द.अ.- 250 - 6600 - 300 - 8100 -द.अ.- 350 - 9850 - 400 - 11850 -द.अ.- 450 - 14100 - 500 - 16600
चालक-	4500 - 175 - 5375 - 225 - 6500 -द.अ.- 275 - 7875 - 325 - 9500 -द.अ.- 375 - 11375 - 425 - 13500 -द.अ.- 475 - 15875 - 525 - 18300
लिपिक-	5000 - 200 - 6000 - 250 - 7250 -द.अ.- 300 - 8750 - 350 - 10500 -द.अ.- 400 - 12500 - 450 - 14750 -द.अ.- 500 - 17250 - 550 - 20000
वरिष्ठ लिपिक-	6100 - 250 - 7350 - 300 - 8850 -द.अ.- 350 - 10600 - 400 - 12600 -द.अ.- - 450 - 14850 - 500 - 17350 -द.अ.- 550 - 20100 - 600 - 23100
लेखापाल-	6700 - 300 - 8200 - 350 - 9950 -द.अ.- 400 - 11950 - 450 - 14200 -द.अ.- - 500 - 16700 - 550 - 19450 -द.अ.- 600 - 22450 - 650 - 25700
आचार्य-	5500 - 250 - 6750 - 300 - 8250 -द.अ.- 350 - 10000 - 400 - 12000 -द.अ.- - 450 - 14250 - 500 - 16750 -द.अ.- 550 - 19500 - 600 - 22500
वरिष्ठ आचार्य-	6700 - 300 - 8200 - 350 - 9950 -द.अ.- 400 - 11950 - 450 - 14200 -द.अ.- - 500 - 16700 - 550 - 19450 -द.अ.- 600 - 22450 - 650 - 25700

विशिष्ट आचार्य—	7700 — 350 — 9450 — 400 — 11450 —द.अ.— 450 — 13700 — 500 — 16200 —द.अ.— — 550 — 18950 — 600 — 21950 —द.अ.— 650 — 25200 — 700 — 28700
प्रधानाचार्य—	8300 — 400 — 10300 — 450 — 12550 —द.अ.— 500 — 15050 — 550 — 17800 —द. अ.— 600 — 20800 — 650 — 24050 —द.अ.— 700 — 27550 — 750 — 31300
प्राचार्य/अधीक्षक—	10200 — 500 — 12700 — 600 — 15700 —द.अ.— 700 — 19200 — 800 — 23200 —द. अ.— 900 — 27700 — 1000 — 32700 —द.अ.— 1100 — 38200 — 1200 — 44200

निर्धारण प्रक्रिया—

1. भृत्य/चौकीदार/रसोईया/स्वीपर/परिचालक/चालक— मूल वेतन + 35 प्रतिशत महंगाई + 90.00 अनुग्रह राशि का योग ।
2. शेष सभी पदों के लिए— मूल वेतन + 35 प्रतिशत महंगाई + 120.00 अनुग्रह राशि का योग ।
सभी श्रेणी के प्रशिक्षुओं के लिए एवं अन्य दायित्व धारियों हेतु विशेष—

पद का नाम	मासिक मानधन	
भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, परिचालक, चालक, रसोईया	प्रथम वर्ष— 3000 रु.	द्वितीय वर्ष— 3200 रु.
लिपिक	प्रथम वर्ष— 4000 रु.	द्वितीय वर्ष— 4500 रु.
आचार्य श्रेणी व कम्प्यूटर, ग्रंथपाल, प्रयोगशाला सहायक	प्रथम वर्ष— 4800 रु.	द्वितीय वर्ष— 5000 रु.
वरिष्ठ आचार्य/व्यायाम आचार्य	प्रथम वर्ष— 5000 रु.	द्वितीय वर्ष— 5300 रु.
विशिष्ट आचार्य	प्रथम वर्ष— 6500 रु.	द्वितीय वर्ष— 7000 रु.


प्रभारी भत्ता—

पद का नाम	प्रभारी भत्ता प्रति माह
प्रधानाचार्य	1000.00 रु.
प्राचार्य	1500.00 रु.

उपरोक्त भत्ता उन्हीं प्रभारी प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य के लिए देय होगा जो पद के लिए अर्हता रखते हों।


टीप—

1. 01 जुलाई 2019 को महंगाई भत्ता शून्य रहेगा ।
2. वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र शीघ्र भेजी जावेगी ।
3. मकान भत्ता एवं अन्य भत्ते के संबंध में कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय कर अलग से सूचना दी जावेगी।
कृपया उपरोक्तानुसार बजट में प्रावधान किया जावे ।


(जुड़ावन सिंह ठाकुर)
 सचिव

प्रतिलिपि:

1. मा. अध्यक्ष/संगठन मंत्री एवं प्रांत पदाधिकारीगण सरस्वती शिक्षा संस्थान छ.ग.।
2. मा. अध्यक्ष/प्रादेशिक सचिव सरस्वती ग्राम शिक्षा समिति छ.ग.।
3. मा. प्रांत प्रमुख, नगरीय/खेल/ग्रामीण/सेवा/जनजातीय क्षेत्र की शिक्षा।
4. श्रीमान् समस्त जिला प्रतिनिधि एवं विभाग समन्वयक, सरस्वती शिक्षा संस्थान छ.ग.।


(जुड़ावन सिंह ठाकुर)
 सचिव